

प० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, { छ०ग० }

1260  
क्रमांक ..... / अका / 2003.

// अधिसूचना //

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2003

समन्वय समिति की छठवीं बैठक दिनांक 24-04-2003 को अध्यादेश क्रमांक 107, जो बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित है, में खंड 20 एवं खंड-22 में पूरक परीक्षा तथा पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव सशोधित किया गया है, जो निम्नानुसार है-

clause-20 For the Candidate failing in the Supplementary Examination of B.C.A. course, the provisions applicable for B.Sc. Examination of this University will hold true.

Clause-22 The Provision for revaluation in B.C.A. course shall be same provided in B.Sc. Course of this University.

सूचनाएं,

आदेशानुसार,

  
[ ए०मिज ]


कुलसचिव

1260  
प० क्रमांक ..... / अका / सम स / 2003,

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2003

प्रतिलिपि-

- 1/ प्राचार्य, वि०वि० से संबंधित समस्त महाविद्यालय,
  - 2/ उपकुलसचिव-गोपनीय विभाग / परीक्षा विभाग, प० रवि० शु०वि०वि०, रायपुर,
  - 3/ कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, प० रवि० शु० वि०वि०, रायपुर,
  - 4/ सचिव, उच्च शिक्षा, छ०ग० शासन, मंत्रालय, डी०के०एस० भवन, रायपुर,
  - 5/ अतिरिक्त सचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर,
  - 6/ राज्यपाल के सचिव, राजभवन, छ०ग० शासन, रायपुर
- का सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पणित ।

  
कुलसचिव